भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 839
04 दिसंबर, 2025 को उत्तर देने के लिए

फसल कटाई के बाद का नुकसान

839. श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी:
श्री इटेला राजेंदरः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में फसल कटाई के बाद होने माले नुकसान का अनुमान लगभग 1.5 ट्रिलियन रुपये प्रतिवर्ष है-जो कृषि सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3.7 प्रतिशत है-और फल और सब्जियां सबसे संवेदनशील वस्तुएं हैं, जिन्हें 10 प्रतिशत-15 प्रतिशत तक का नुकसान होता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या धान और गेहूं जैसी प्रमुख फसलों में भी फसल कटाई के बाद काफी नुकसान होता है, जो अनुमानित रूप से क्रमशः लगभग 4.8 प्रतिशत और 4.2 प्रतिशत है, जिसके परिणामस्वरूप पोषण की हानि के साथ-साथ पानी, ऊर्जा और श्रम की भी बर्बादी होती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है.

(ग) क्या सरकार को पता है कि बिगड़ते जलवायु संकट और भारत के बड़े कृषि उत्पादन के संदर्भ में, इस तरह के प्रतिशत नुकसान के कारण प्रतिवर्ष लाखों टन खाद्यान्न बर्बाद होता है, जिससे किसानों की आय, राष्ट्रीय खाद्य उपलब्धता और पर्यावरणीय स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) क्या उक्त खाद्य हानि फसलों, मूल्य श्रृंखलाओं और क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न होती है और क्या सरकार का उच्च कटाई-पश्चात हानि वाले क्षेत्रों की पहचान करने, संबंधित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की मात्रा निर्धारित करने और ऐसी अक्षमताओं को दूर करने के लिए लक्षित हस्तक्षेप करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) और (ख): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद - केंद्रीय फसलोत्तर अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईसीएआर-सीआईपीएचईटी), वर्ष 2015 और नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड (नैबकॉन्स), वर्ष 2022 द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार, भारत में विभिन्न कृषि उपज की कटाई और फसलोत्तर नुकसान का अनुमानित प्रतिशत और मौद्रिक दृष्टि से श्रेणीवार नुकसान निम्नानुसार हैं:

फसलें/वस्तुएं	**अनुमानित प्रतिशत हानि**		
	आईसीएआर-सीआईपीएचईटी अध्ययन (वर्ष 2015) के अनुसार	**नैबकॉन्स अध्ययन (वर्ष 2022) के अनुसार**	**मौद्रिक नुकसान नैबकॉन्स (करोड़ रुपये में)**
अनाज	4.65 - 5.99	3.89-5.92	26000.79
दालें	6.36 - 8.41	5.65-6.74	9289.21

तिलहन	3.08 - 9.96	2.87-7.51	10924.97
फल	6.70-15.88	6.02-15.05	29545.07
सब्ज़ियाँ	4.58-12.44	4.87-11.61	27459.08
बागान फसलें और मसाले	1.18-7.89	1.29-7.33	16412.56
दूध	0.92	0.87	29871.41
मत्स्य पालन (अंतर्देशीय)	5.23	4.86	
मत्स्य पालन (समुद्री)	10.52	8.76	
मांस	2.71	2.34	
पॉल्ट्री	6.74	5.63	
अंडा	7.19	6.03	3287.32
		कुल मौद्रिक नुकसान	**152790.42**

(ग): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने भारत में कृषि उपज फसलोत्तर नुकसान/अपव्यय पर जलवायु संकट के संबंध का आंकलन करने के लिए कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया है।

(घ): उपरोक्त अध्ययन के अनुसार, फसलोत्तर नुकसान अलग फसलों, मूल्य श्रृंखला और क्षेत्रों में अलग-अलग होता हैं। इस अध्ययन से उन क्षेत्रों की पहचान करने में भी मदद मिली जहां फसलोत्तर नुकसान ज़्यादा होता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने फसलोत्तर नुकसान से जुड़े ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को मापने के लिए कोई विशेष अध्ययन नहीं किया है ।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) जैसी कई पहलों और योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का सम्पूर्ण विकास करना चाहता है । उपरोक्त वर्णित योजनाओं के अलग-अलग घटकों के तहत , एमओएफपीआई खेत से लेकर खुदरा दुकानों तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना सृजन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है। सृजित अवसंरचना और प्रदान की गई सहायता का उद्देश्य किसानों को बेहतर आय देना, रोज़गार के अवसर सृजित करना, अपव्यय कम करना, प्रसंस्करण का स्तर बढ़ाना और प्रसंस्कृत खाद्य का निर्यात बढ़ाना है।

*****